<u>न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर (म0प्र0)</u>

(समक्ष : भूपेन्द्र सिंह कुशवाह)

<u>Registration No. - 2494/2026</u>
<u>Filing No. -RCT/11817/2026</u>
<u>C.N.R. No. MP0701-015902-2026</u>
<u>Filing Date - 08/07/2026</u>

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना– मुरार
जिला ग्वालियर म0प्र0

———— **<u>अभियोजन</u>**

बनाम

1. सुमित यादव पिता संजय यादव, उम्र– 25 वर्ष, निवासी– बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर,

2. प्रदीप यादव पिता गजेन्द्र उर्फ राजू यादव, उम्र– 27 वर्ष, निवासी– अशोक संतर, बड़ागांव, जिला ग्वालियर

3. सूरज यादव पिता ओमप्रकाश यादव, उम्र– 28 वर्ष, निवासी– ठाकुरजी मंदिर के सामने, ग्राम बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर,

4. संजय सिंह यादव पिता हरविलास यादव, उम्र– 49 वर्ष, निवासी– अशोक संतर बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर

5. अभय पालिया पिता ब्रजेश कुमार पालिया, उम्र– 24 वर्ष, निवासी– पंडित जी चक्की, बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर

6. चन्द्रपाल सिंह यादव उर्फ चंदू अरनव पिता संजय

सिंह यादव, उम्र– 21 वर्ष, निवासी– अशोक संतर, बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर,

7. नरेन्द्र यादव पिता मोहर सिंह यादव, उम्र– 40 वर्ष, निवासी– ठाकुरजी मंदिर के पास, बड़ागांव, जिला ग्वालियर, म.प्र.।

———— **अभियुक्तगण**

पुलिस थाना मुरार, जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 256/26 अंतर्गत धारा 110, 125, 331(4), 115(2), 296(बी), 351(3), 324(5), 3(5) बी.एन.एस. के उद्भूत प्रकरण।

:: उपार्पण आदेश ::

(आज दिनांक **03.08.2026** को पारित किया गया।)

01– प्रस्तुत प्रकरण इस आदेश के द्वारा भा.न.सु.सं. की धारा 232 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जा रहा है।

02– अभियुक्तगण के विरूद्व यह अभियोग पत्र धारा 110, 125, 331(4), 115(2), 296(बी), 351(3), 324(5), 3(5) बी.एन.एस. के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

03– अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि, वह निशांत राजपूत के होटल, हाईवे ग्लोरी मोहनपुर पुल के पास हाईवे पर रिशेप्सन पर कार्य करता है। दिनांक 02.06.2026 को रात्रि करीबन 11:30 बजे वह होटल के रिशेप्सन पर बैठा था तभी संजय यादव उसके एक साथी के साथ आया एवं होटल के अंदर आकर बैठ गया एवं खाने का आर्डर देने के लिए उसे बुलाने लगा तो उसने कहा कि, अभी थोड़ी देर में आ रहा, इसी बात पर संजय खड़ा होकर आया एवं उसे मां बहन की गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो संजय उसे थप्पड़ मारने लगा, जिससे उसके गालों में मुंदी चोट आई। जब बेटर सुमित लोधी ने उसे बचाया तो संजय ने सुमित लोधी का गला पकड़ लिया, जिससे सुमित लोधी के गले में खरोंच आई तब होटल के अन्य स्टाफ ने बीच बचाव कराया एवं संजय होटल से बाहर निकलकर चला गया और वह होटल बंद करने

लगा। उसने होटल का सीसे का गेट लगा दिया था एवं शटर को लगा ही रहा था तभी रात्रि 12 बजे संजय उसके लड़के सुमित के साथ रायफल लेकर आया और कांच के मैनगेट में फायर किया, जिससे गेट का कांच टूट गया एवं वह डरकर अंदर भाग गया, तभी अन्य 3–4 लोग और भी आ गये एवं वह भी गालियां देने लगे, तब संजू यादव ने उसकी राईफल से होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग की, जिससे होटल के बाहर खड़ी हुई कारों के शीशे टूट गये। संजय यादव उसके साथियों के साथ होटल के अंदर घुसकर आया एवं उसकी रायफल से होटल के काउंटर की तरफ फायर किया, जिससे काउंटर टूट गया। फिर उक्त लोगों ने होटल के बाहर खड़ी दोनों कारों में डंडो से तोड़फोड़ की। उक्त लोग जाते समय कह रहे थे कि, आईन्दा खाने का आर्डर लेने में देरी की तो जान से खत्म कर देंगें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरार में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 256/2026 धारा धारा 110, 125, 331(4), 115(2), 296(बी), 351(3), 324(5), 3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया।

04– अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं संलग्न प्रपत्र के अवलोकन से अभियुक्तगण पर धारा धारा 110, 125, 331(4), 115(2), 296(बी), 351(3), 324(5), 3(5) बी.एन.एस. के अपराध कारित करना प्रथमतः दर्शित होता है। प्रकरण में धारा 110 बी.एन.एस. के अपराध के विचारण का अनन्यतः क्षेत्राधिकार मान्नीय सत्र न्यायालय को है। अतः प्रकरण समुचित विचारण हेतु मान्नीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया जाता है। अभियुक्तगण अधिवक्ता को अंतिम प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रदान की जा चुकी हैं।

05– प्रकरण में अभियुक्त संजय यादव न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त का कमिटल वारंट तैयार कर टीप अंकित की जावे कि, आरोपी को दिनांक 14.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे।

06– प्रकरण में अभियुक्तगण सुमित, प्रदीप, सूरज, अभय, चन्द्रपाल, नरेन्द्र पूर्व से जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि, आगामी नियत दिनांक 14.08.2026 को दिन के 11:00 बजे माननीय सत्र न्यायालय, जिला ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहें।

07– नायब नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति, माननीय सत्र न्यायालय, ग्वालियर को उपलब्ध करायें।

08– प्रवर्तन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली व्यवस्थित तरीके से प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 14.08.2026 के पूर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर की ओर प्रेषित करें।

09– तदानुसार उर्पापण आदेश तैयार किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

BHUPENDRA SINGH KUSHWAH

Digitally signed by BHUPENDRA SINGH KUSHWAH
Date: 2026.08.03 17:57:33 +0530

सही/–
भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर (म.प्र.)